पत्रांक 15/पी 5–05/2015
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषयः राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना में सभागार निर्माण हेतु कुल रू0 9,95,00,000/– (नौ करोड़ पंचानबे लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना में सभागार निर्माण हेतु कुल रू0 9,95,00,000/– (नौ करोड़ पंचानबे लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष – 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लधुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष–0117 –राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना, विषय शीर्ष – 0117. 31. 05 सहायक अनुदान – परिसम्पतियों के निर्माण, विपत्र कोड 21–2202031020117 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में किया जाएगा। इस निमित कुल रू0 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़) मात्र का बजटीय का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक आगणन से किया गया है।

3. राशि की निकासी, अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन से निकासी कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के पी0एल0 खात में (पी0एल0 खाता संख्या– 237) में जमा की जाएगी।

4. स्वीकृत राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवता की पूरी जिम्मेवारी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी की होगी तथा शिकायत प्राप्त होने पर विभाग समूचित कार्रवाई करेगा

5. यह स्वीकृत्यादेश दिनांक 24.01.2018 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक की अनुशंसा एवं संचिका संख्या 15/पी 5–05/2015 में दिनांक 26.02.2018 को पृष्ठ 54/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

6. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

8. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

9. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

10. इस स्वीकृत्यादेश पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–05/2015 पटना, दिनाक /2018

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कुलसचिव, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–05/2015 113 पटना, दिनाक 28/2 /2018

प्रतिलिपि –प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/18
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

(4)